

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जगदीश वनाम बनो रवी देवी

या/वर्ष या. पत्र . : 126/2021

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2.8.21	<p>प्राची के अधिवक्ता ने प्रथम पत्र - अहकाम धारा 212 RTA के पैत्र किता प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार किता जाकर अप्रार्थितों को जेरे बस्थाई निवेदना से पाषण किता जाता है कि वाकिल आणी - रकस नम्बर 6907, 6909/12110, - 7394/12111, 7396, 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7404, 7541/12280 7542, 7543, 7544, 7545, 7547, 7548, कुल किता 17 कुल रकस 10.8) है वाके ग्राम चाकसू परिषद तहसील चाकसू में आगामी दिनांक 13.9.21 तक मोफे की प्रथा स्थिती बनाये रहे। अप्रार्थितों की तलकी जाये सोफा पत्रावली दिनांक 13.9.21 को पैत्र हों।</p>	
13-9-21	<p>पत्रावली पेशगी/पत्रावली पेशगी उप <u>पूर्व गुसाफ पत्रावली दिनांक</u> <u>25-10-2021 को पेश की</u></p>	
6.1.22	<p>पत्रावली चाकसू परिषद के कोर्ट के रूप में पैत्र इसे प्राची के अधिवक्ता ने प्र.पत्र आगे नहीं चलाने का मत (Not press) करते हैं अतः प्र.पत्र 212 रजिस्ट्रार किता जाता है प्रजावली कितावली हुमा सोजर नम्बर से कम है।</p>	<p>Not प्र.पत्र 6.1.22</p>

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)